न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

.प्रकरण संख्या 11/2021

अनवान

1. मैसर्स रहमानिया टैक्नो फेब प्रा.लि. जरिये डायरेक्टर अब्दुल वहीद पुत्र श्री छोटू निवासी गर्ग पेट्रोल पम्प के पास रेलवे फाटक, भीलवाडा तह व जिला भीलवाडा।

–प्रार्थी

बनाम

1. नारायण लाल पुत्र श्री भैरू लाल नायक नि0 तख्तपुरा ।
2. बंशीलाल पुत्र श्री कालू नायक नि. तख्तपुरा ।
3. भगवान लाल पुत्र श्री भैरू लाल नि. तख्तपुरा ।
4. भैरू लाल पुत्र श्री देवा लाल नायक निवासी तख्तपुरा ।
5. मांगी लाल पुत्र श्री देवा लाल नायक नि. तख्तपुरा।
6. महाराम पुत्र श्री डूंगा नायक नि. तख्तपुरा ।
7. राजकुमार पुत्र श्री भैरू लाल नायक नि. तख्तपुरा ।
8. रामश्वर पुत्र श्री नाना नायक नि. तख्तपुरा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 31–08–2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भॅू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 11.02.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 1871 की कृषि भूमि की आ.न. 4587/1738 रकबा 0.5058 है0 व खाता संख्या 1748 में आराजी नम्बर 4586/1738 रकबा 0.2403 है भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 11.02.2021 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 2 से 5,6,7,8 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 01,04 अदम तामील प्राप्त। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नियम सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी संख्या 01,04 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी क्रम 01,04 का नाम डिलीट/विलोपित करने की आज्ञा पारित की जाती है।

प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 1871 की कृषि भूमि की आ.न. 4587/1738 रकबा 0.5058 है0 व खाता संख्या 1748 में आराजी नम्बर 4586/1738 रकबा 0.2403 है भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 300/–पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर [illegible]/–रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 31.08.2021 को खुले न्यायालय [illegible] गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.09.10 15:59:19 IST
Reason: SelfAttested

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ